



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

मध्य रेल, भुसावल



राजभाषा हिंदी

संकलनकर्ता :- ज्वाला प्रसाद



An IS/ISO 9001:2008 Certified Institute

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

मध्य रेल, भुसावळ.

गुणवत्ता नीति

आमची नीति, सुरक्षित आणि विश्वसनीय रेल्वे संचालनासाठी पर्याप्त प्रशिक्षण देणे व सतत सुधारणांद्वारा ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करणे आहे।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

मध्य रेल, भुसावळ.

गुणवत्ता नीति

हमारी नीति है, सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना तथा निरंतर सुधार द्वारा ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना।

Zonal Railway Training Institute

Central Railway, Bhusawal.

QUALITY POLICY

Our Policy is to impart adequate training for the purpose of Safe and Reliable train operations, ensuring Customer Satisfaction through continual improvement.

विद्यालय गीत

विद्या का मंदिर है ये, और ज्ञानदीप है प्यारा ।
सबसे उन्नत सबसे अच्छा ये शिक्षा केन्द्र हमारा ॥

रेल कर्मी को संरक्षा के पाठ यहां है पढ़ाते,
संचालन के नियमों से अवगत उनको करवाते,
यातायात सुरक्षित हो यही पहला ध्येय हमारा ॥1॥
विद्या का मंदिर ये शिक्षा केन्द्र हमारा ॥

अनुशासन और शिक्षा के संग, सीखें साफ सफाई,
आओ इस पर अमल करें, हम मिलकर सारे भाई,
निष्ठा से कर्तव्य करेंगे, यही निश्चय है हमारा ॥2॥
विद्या का मंदिर ये संस्थान हमारा ॥

दुर्घटना को टालें हम सब ऐसा कार्य करेंगे,
जनसेवा में अपना तनमन, न्यौछावर कर देंगे,
बढ़े प्रतिष्ठा रेलों की और, मान बढ़ेगा हमारा ॥3॥

विद्या का मंदिर है ये और ज्ञानदीप है प्यारा ।
सबसे उन्नत सबसे अच्छा ये संस्थान हमारा ॥

संरक्षक

के.पी.कृष्णन, प्राचार्य
आर.डी.कोरी, उप-प्राचार्य

मार्गदर्शन

एम.के.गायकवाड
सहायक कार्मिक अधिकारी
एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी,

प्रेरणा

जे.डी.वाणी
सहायक परिवहन प्रबंधक
एवं
प्रताप सिंह
सहायक परिवहन प्रबंधक

संकलन एवं टंकण

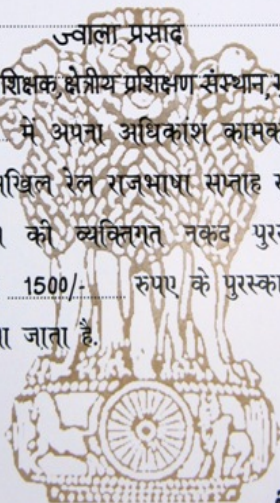
ज्वाला प्रसाद
मुख्य यातायात अनुदेशक
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान
मध्य रेल, भुसावल

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

(प्रमाण-पत्र)

श्री/श्रीमती/सुश्री जवाला प्रसाद
वरिष्ठ यातायात प्रशिक्षक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुसावल, मध्यरेलवे.
को वर्ष 2009 में अपना अधिकांश कामकाज हिंदी में करने
के उपलक्ष्य में अखिल रेल राजभाषा सप्ताह समारोह के अवसर
पर रेल मंत्रालय की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के
अन्तर्गत एतद्वारा 1500/- रुपये के पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र
से सम्मानित किया जाता है.



नई दिल्ली

दिनांक 31-03- 2011

सत्यमेव जयते

निदेशक, राजभाषा

विषय सूची

क्र	विवरण	पेज
1	प्रस्तावना	1
2	हिंदी का प्रयोग	1
3	राजभाषा हिंदी का विकास	3
4	राजभाषा समितियां	4
5	राजभाषा अधिनियम-1963	11
6	भारतीय संविधान की 22 भाषाएं	13
7	राजभाषा नियम - 1976	14
8	राजभाषा नियम - 1976 के 12 नियम	15
9	राजभाषा हिंदी का स्थान	20
10	राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने हेतु सुझाव	21
11	राजभाषा नीति निर्देशिका	22
12	हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम	29
13	प्रोत्साहन पुरस्कार	27
14	राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के पुरस्कारों का संक्षिप्त विवरण	32
15	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य	39
16	हिंदी में कार्य साधक ज्ञान और हिंदी में प्रवीणता में अन्तर	41
17	राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर	42
18	क्या आप जानते हैं	43
19	लिप्यांतर किए जाने वाले शब्द	49

राजभाषा हिंदी

1. **प्रस्तावना:-** “बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है।” इस तरह की भावनाओं ने देश के विभिन्न भागों में हिंदी के प्रसार की प्रेरणा दी है। हिंदी वह सेतु है जो भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों को एक दूसरे से जोड़ती है।

सरकारी कामकाज के संदर्भ में हिंदी के प्रयोग के बारे में जो आदेश है उन्हें समझने के लिए संविधान के प्रावधान और राजभाषा अधिनियम -1963 के अधीन बनाये गये राजभाषा नियम-1976 को जानना होगा। सरकार ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं बनाई है।

2. हिंदी का प्रयोग :-

- (i) **संविधान का अनुच्छेद-343(i):-** भारत संघ की राजभाषा में लिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।
- (ii) **संविधान का अनुच्छेद-343(ii) :-** संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत् चलती रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं।

(iii) **संविधान का अनुच्छेद-343(iii) :-** संसद 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों के प्रयोग को विधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में जारी रख सकेगी।

(iv) **राजभाषा आयोग का गठन :-** भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग को निश्चित करने के लिए आयोगों का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344(i) के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 को बान गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ।

(v) **राजभाषा आयोग की सिफारिशें :-**

- ❖ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी तो बना रहे किन्तु कुछ समय बाद हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना लिया जाये अर्थात परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से परीक्षा दे सकें।
- ❖ संसदीय विधान अंग्रेजी में ही चलता रहेगा किन्तु विधि मंत्रालय इसका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध करायेगा।
- ❖ उच्चतम न्यायालय की भाषा अन्ततः हिंदी होगी।
- ❖ सभी प्रदेशों में हिंदी सामान्यतः सभी निर्णयों, नियमों या आदेशों की भाषा होगी।

3. राजभाषा हिंदी का विकास :- राजभाषा हिंदी के विकास के संबंध में संविधान के अनुच्छेद - 351 का उल्लेखनीय महत्व है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाये कि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composit Culture) के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी के सरल और सुबोध प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद - 351 में केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी के विकास एवं प्रसार के लिए विशेष कदम उठाये।



4. राजभाषा समितियां :- संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग पर ध्यान रखने के लिए तथा औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति के सम्पर्क को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए, इन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। राजभाषा समितियां निम्नलिखित हैं:-

(क) केन्द्रीय हिंदी समिति :-

- (i) यह राजभाषा की सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है।
- (ii) इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- (iii) सदस्य गृहमंत्री, गृह राज्यमंत्री, तथा 6 केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के विद्वान, समाजसेवी तथा पत्रकार।
- (iv) इस समिति का पुनर्गठन दिनांक 13.11.2009 को किया गया।
- (v) समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को हुई थी।

(vi) उद्देश्य :-

- ✓ हिंदी राजभाषा की प्रगति तथा प्रयोग पर निगरानी रखना।
- ✓ सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ तथा उपरोक्त उद्देश्यों हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वयार्थ गठित शीर्षस्थ समिति।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति :-

- (i) इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-4 के अधीन 1976 में किया गया।
- (ii) इस समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री होते हैं।
- (iii) इस समिति के 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोक सभा से, तथा 10 राज्य सभा से।
- (iv) यह समिति सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और राज्य सरकारों को भेजा जायेगा। संसद तथा राज्य सरकारों द्वारा इस पर अभिव्यक्त मत पर विचार करने के बाद उसके सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए राष्ट्रपति निर्देश जारी करेंगे।
- (v) उद्देश्य :- संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(vi) उप-समितियां :-

1. कार्य संचालन के लिए समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है जिसके लिए संयोजक, अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाते हैं।
2. इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी गठित है जो संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक उपसमिति है।
3. संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा उपरोक्त तीनों उपसमितियों के संयोजक इस समिति के सदस्य होते हैं।
4. इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष तीनों उपसमितियों में से एक-एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति में सदस्य नामित करते हैं।
5. इन उपसमितियों द्वारा निरीक्षणों व संवाद के आधार पर आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन में समिति द्वारा विभिन्न संस्तुतियां की जाती हैं।
6. समिति द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की अधिप्रमाणित प्रतियां संसद के पटल पर रखी जाती हैं। इन संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों से मंत्रणा व परामर्श के आधार पर तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

7. समिति द्वारा अब तक प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के 8 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
8. अंतिम आदेश 2 जुलाई, 2008 में जारी हुए थे तथा नौवां खंड विकसित चरण पर है।

(ग) हिंदी सलाहाकार समिति :-

- (i) प्रत्येक मंत्रालय में ये समितियां गठित है।
- (ii) इस समिति के अध्यक्ष संबन्धित मंत्रालय/विभाग के मंत्री होते हैं।
- (iii) इसमें 15 गैर सरकारी सदस्य तथा मंत्रालय/विभाग के अधिकारी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहाकार समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी रूप से आमंत्रित अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।
- (iv) वर्ष में कम से कम दो बैठकें एवं यथासम्भव अधिक बैठकों के आयोजन का लक्ष्य।
- (v) 54 मंत्रालयों/विभागों में गठित तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में गठन विचाराधीन।
- (vi) वैधता की अवधि तीन वर्ष तथा समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।
- (vii) राजभाषा विभाग में समन्वयक की भूमिका निभाता है।
- (viii) उद्देश्य :- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना व परामर्श देना।

(घ) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

- (i) इस समिति के अध्यक्ष सचिव राजभाषा विभाग होते हैं।
- (ii) इसके सदस्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं।
- (iii) इस समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी हैं।
- (iv) पिछली बैठक 29 व 30 दिसम्बर 2010 को आयोजित हुई जिसमें 69 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- (v) उद्देश्य :-
 - ✓ मंत्रालय/विभागों में राजभाषा नीति (संवैधानिक व कानूनी प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों आदि) के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना।
 - ✓ हिंदी के प्रभावी प्रयोगार्थ सफल पहलात्मक कदमों व अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान-प्रदान करना।

(ड) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

- (i) इस समिति के अध्यक्ष संबन्धित विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं।
- (ii) इसके सदस्य विभाग एवं संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि होते हैं।
- (iii) सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।
- (iv) उद्देश्य :- तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना।

(च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

- (i) इसका अध्यक्ष नगर में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी होता है
- (ii) इसके सदस्य नगर में स्थित केन्द्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख होते हैं।
- (iii) प्रत्येक नगर में केन्द्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर इस समिति का गठन किया जाता है।
- (iv) जहां ऐसे दस या अधिक कार्यालय हैं वहां ये समितियां गठित की जाती हैं।
- (v) इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है।

- (vi) कुछ नगरों में उपक्रमों, बैंकों और अन्य केन्द्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग समितियां गठित है। जिसमें अब तक गठित कुल 274 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए 13 तथा बैंकों के लिए गठित 26 समितियां शामिल हैं।
- (vii) प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त, अधीनस्थ कार्यालयों/स्टेशनों पर, जहां कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे अधिक हो, वहां भी ऐसी समितियां गठित की जाती है। जहां एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 नहीं है, वहां स्थित अन्य कार्यालयों को मिलाकर ये समितियां गठित की जाती है। इसकी बैठक हर तीसरे महीने में आयोजित की जाती है।



5. राजभाषा अधिनियम - 1963

(दिनांक 10-05-63 यथासंशोधित-1967)

राजभाषा अधिनियम-1963 की 9 धाराएं :-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- (2) परिभाषाएं।
- (3) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।
- (4) राजभाषा के संबंध में समिति।
- (5) केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।
- (6) कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।
- (7) उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग।
- (8) नियम बनाने की शक्ति।
- (9) कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर पर लागू न होना।

राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया था, जो 26 जनवरी 1965 से लागू है। राजभाषा अधिनियम 1963 की 9 धाराएं हैं जिसमें से धारा - 3(3) सबसे महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करना अनिवार्य है। ऐसे कागजात द्विभाषी रूप में जारी करने की जिम्मेदारी राजभाषा नियम - 1976 के

नियम - 12 के अनुसार उन कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।

धारा - 3(3) के अन्तर्गत आने वाले 13 कागजात इस प्रकार हैं:- (धारा 3/3 - 26 जनवरी 1965 को लागू हुई।)

- (i) सामान्य आदेश। (परिपत्र, आरक्षण चार्ट, ज्ञापन, सूचना भी शामिल है)
- (ii) अधिसूचना।
- (iii) संकल्प।
- (iv) नियम।
- (v) प्रेस विज्ञप्ति/प्रेस नोट।
- (vi) संविदा।
- (vii) करार।
- (viii) लाइसेंस।
- (ix) परमिट।
- (x) निविदा प्रारूप और निविदा नोटिस।
- (xi) संसद में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट।
- (xii) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागजात।
- (xiii) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट।



6. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है जो इस प्रकार है :-

(1)	असमी	(12)	तेलगू
(2)	बंगाली	(13)	संस्कृत
(3)	गुजराती	(14)	उर्दू
(4)	हिन्दी	(15)	सिंधी
(5)	कन्नड़	(16)	कोंकणी
(6)	कश्मीरी	(17)	मणिपुरी
(7)	मलयालम	(18)	नेपाली
(8)	मराठी	(19)	डोंगरी
(9)	ओडिया	(20)	मैथली
(10)	पंजाबी	(21)	बोडो
(11)	तमिल	(22)	संथाली

“उपरोक्त 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भारत की सह-भाषा है।”

नोट :- मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी।

21 वां संविधान संशोधन - 1967 में सिंधी, तथा 71 वां संविधान संशोधन - 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92 वां संविधान संशोधन - 2003 में डोंगरी, मैथली, बोडो, और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है।



7. राजभाषा नियम - 1976 (दिनांक 17-07-1976 से लागू)

केन्द्र सरकार ने राजभाषा नियम 28 जून 1976 को बनाया। राजभाषा नियम कुल 12 हैं, जो तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू है।

राजभाषा नियम -1976 के अनुसार राजभाषा नीति के सम्यक कार्यान्वयन के लिए भारत को तीन भागों में बांटा गया है:-

‘क’ क्षेत्र : बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।

‘ख’ क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा चडीगढ़, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य।

‘ग’ क्षेत्र : ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र से भिन्न राज्य तथा संघ शाषित प्रदेश।

नोट :-

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 23.05.2011 के पत्र क्रमांक 24/क्षे का का/ब/2010-2011/266 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य को ‘ग’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र में जोड़ा गया है।



8. राजभाषा नियम - 1976 के 12 नियम :-

- (1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
- (2) परिभाषाएं।
- (3) राज्यों आदि और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि।
 - (i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र के राज्य को या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दशाओं के सिवाय हिंदी में होंगे। यदि कोई पत्र आदि किसी को अंग्रेजी में भेजे जाते हैं, तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जायेगा।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ख' क्षेत्र के राज्य को पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में भेजे जायेंगे, यदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जायेगा।

यदि राज्य सरकार किसी विशिष्ट वर्ग के पत्र उतनी अवधि तक जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, अंग्रेजी या हिन्दी, दूसरी भाषा में अनुवाद सहित भेजे जायें।

'ख' क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति को पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
 - (iii) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि अंग्रेजी में लिखे जायेंगे।
 - (iv) 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र में किसी बात के होते हुए भी 'ग' क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'क' या 'ख' क्षेत्र के राज्य को या कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि :

- (i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
- (ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार आदि केवल हिंदी में होंगे।
- (iii) 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
- (iv) 'क' क्षेत्र और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(5) हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर :

हिंदी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से उत्तर हिंदी में होंगे।

(6) हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग :

जहां पत्रादि 'क' क्षेत्र या 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों को सम्बोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो पहुँच के स्थान पर दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवेदन, अपील या अभ्यावेदन आदि :

- (i) कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।
- (ii) यदि कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया जाये या उसमें हस्ताक्षर हिंदी में किया गया हो तो उसका उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जायेगा।
- (iii) यदि कर्मचारी यह चाहता है कि कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिये तो उसे बिना किसी अनुचित विलम्ब के उसी भाषा में दी जायेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना:

- (i) कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।
- (ii) केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी, जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तब ही कर सकता है जबकि दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है।

(9) **हिंदी में प्रवीणता :**

- (i) हिंदी में प्रवीणता ऐसे ज्ञान से है, जिसने हिंदी माध्यम से मैट्रिक या कोई समकक्ष या उच्चतर परीक्षा पास की हो। या
- (ii) स्नातक या उसके समकक्ष या उससे किसी उच्च स्तर की परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी विषय लिया हो। या
- (iii) विहित प्रपत्र में यह घोषणा की हो कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण से छूट दी गई है।

(10) **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान :**

- (i) हिंदी में कार्य साधक ज्ञान का अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है, जिसने हिंदी विषय के साथ मैट्रिक या कोई समकक्ष या उच्चतर परीक्षा पास की हो। या
- (ii) हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा या उससे कम स्तर की कोई परीक्षा या उसके समकक्ष किसी निर्धारित परीक्षा में सफलता हासिल की हो, जो किसी कोटि के लिए निर्धारित की गई हो। या
- (iii) सरकार के द्वारा निर्धारित कोई अन्य परीक्षा में सफलता हासिल की हो। जैसे-हिंदी प्रचार सभा। या
- (iv) विहित प्रपत्र में यह घोषणा की हो कि उसे हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण से छूट दी गई है।

(11) **मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि का द्विभाषी होना :**

- (i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित और प्रकाशित किया जायेगा।
- (ii) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रारूप एवं शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। इसी प्रकार इन कार्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दे हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगी।

(12) **अनुपालन का उत्तरदायित्व :**

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।



9. राजभाषा हिंदी का स्थान :-

भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा और लोकप्रिय भाषा हिंदी है, जो लगभग 41 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत की जनभाषा हिंदी है। भारत में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं की सर्वाधिक संख्या हिंदी भाषा भाषियों की है। हिंदी आजादी के आन्दोलनों की भाषा थी। हिंदी या हिन्दोस्तानी, पूज्य बापू महात्मा गाँधी का सपना था कि स्वतंत्र भारत का कामकाज अपनी भाषा हिंदी में होगा। गाँधीजी ने तो यहां तक कहा था कि हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य का, भारत की आजादी का प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता हिंदी को ही राष्ट्र भाषा मानते थे।

किसी भी देश की पहचान उस देश का राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, एक संविधान और उस देश की एक राजभाषा होती है। स्वतंत्रता के बाद हमारा अलग संविधान बना, राष्ट्रीय झंडा निर्धारित किया गया, राष्ट्रीयगान तैयार किया गया। लेकिन जब राजभाषा का प्रश्न आया तो राजभाषा तय करना कठिन हो गया, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में बहुत सी भाषाएं एवं अनगिनत बोलियां बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठा कि किस भाषा को राज भाषा बनाया जाये।

आखिरकार 14 सितम्बर, 1949 को हमारी संविधान सभा में एकमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि हिंदी इस देश में सबसे अधिक बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा है और लगभग हर भारतवासी इसका प्रयोग करता है। इसलिए हिंदी को ही इस देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया है।



10. मध्य रेल पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने हेतु सुझाव :-

वर्तमान में मध्य रेल का क्षेत्र घटकर मराठी भाषी इलाके तक सीमित रह गया है और मराठी तथा राजभाषा हिंदी के शब्दों में काफी हद तक समानता है अतः मराठी भाषी कर्मचारी बड़ी आसानी से हिंदी बोल, पढ़, लिख और समझ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मराठी भाषी इलाके वाले मध्य रेल पर राजभाषा हिंदी को प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देने में कोई मुश्किल नहीं है।

आवश्यकता थोड़े प्रयास करने की है। इसके लिए हिंदी कार्यशालाएं चलाई जा सकती हैं, कर्मचारियों को टेबल ट्रेनिंग दी जा सकती है। हिंदी सेमीनारों, प्रतियोगिताओं का समय-समय पर आयोजन किया जा सकता है। कार्यालयों में प्रयुक्त रजिस्टर, डायरियों के कॉलम हिंदी में बनवाकर उसमें प्रविष्टियां और कर्मचारियों के नाम, पदनाम हिंदी में लिखे जा सकते हैं। डायरियां हिंदी में भ्रवानी चाहिये।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ पत्राचार और अनुशासन की कार्यवाही हिंदी में की जानी चाहिये। विभागीय बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की जानी चाहिये, तथा अधिकारी अपनी निरीक्षण टिप्पणियां हिंदी में जारी कर सकते हैं। छुट्टी/पास/पी.टी.ओ. के आवेदन और दौरा का कार्यक्रम हिंदी में जारी करना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि मध्य रेल जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र में राजभाषा का प्रयोग यहां की स्थानीय और प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिखकर किया जाना चाहिये ताकि हिंदी में काम भी हो और सम्प्रेषण में भी कोई अड़चन न आये।



11. राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश :-

- (i) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रारूप द्विभाषी रूप में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किये जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाये।
- (ii) अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाये और ऐसे प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराये जाएं। साक्षात्कार में भी वार्तालाप में हिंदी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।
- केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाये। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार

कराये जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां भी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाये।

- (iii) सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाये। उक्त शोध पत्र संबद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए।
- (iv) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से होना चाहिए। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाये और प्रशिक्षार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएं।
- (v) केन्द्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिये जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किये जाएं।
- (vi) अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाये। विदेश में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।
- (vii) विदेश में स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्ट,

सूचना पट्ट, फार्म प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मौहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी में बनवाये जाएं।

- (viii) भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों विभागों, बैंकों, उपक्रमों, आदि द्वारा असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे- नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म आदि को अनुवाद कराने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाये।
- (ix) भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है। तथापि, अधिकांश अधिकारी, सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते, इससे अनेक अधीनस्थ कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता है। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता है। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में प्रगति मिलेगी।

- (x) सभी मंत्रालय/विभाग आदि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं में का लाभ उठा सके और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।
- (xi) प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान भी उपलब्ध कराया जाये ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।
- (xii) राजभाषा विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें/प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों को कड़ाई से निपटा जाये।
- (xiii) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए “लीला हिंदी प्रबोध, प्रवीण, व प्राज्ञ” आदि सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

- (xiv) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने-अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।
- (xv) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने केन्द्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन करवायें जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपने कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें।
- (xvi) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान आदि अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में विशेषकर उक्त कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिंदी से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जायें।
- (xvii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें।
- (xviii) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि 'लीला' अर्थात् लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराएं।

- (xix) कम्प्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग किया जाये।
- (xx) भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मोहरें और कार्यालय की मुद्राएं द्विभाषिक रूप में हिंदी के शब्द ऊपर रखते हुये प्रयोग की जायें।
- (xxi) पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि के बारे में जो मोहरें बनवाई जायें उनमें एक पंक्ति हिंदी की और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी की हो या एक ही पंक्ति में हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हो।
- (xxii) बैंकों के चैकों पर यदि द्विभाषी मोहर लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में चैकों पर मोहर केवल हिंदी में और ‘ग’ क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में लगा दी जायें।
- (xxiii) जो मोहर टिप्पणी आदि की जगह पर बनाई जाती है वे या तो द्विभाषी बनाई जायें या ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्र के कार्यालयों आदि में केवल हिंदी में और ‘ग’ क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में बनाई जायें।
- (xxiv) रबड़ की मोहर तैयार करते समय भाषाओं के अक्षर समान आकार के होने चाहिए।
- (xxv) ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, द्विभाषिक रूप से बनवाये जायें।

(xxvi) देवनागरी के नाम पट्ट, मोहरें आदि पर पूरा नाम तो एक रीति से लिखा जा सकता है, परन्तु संक्षिप्त नाम लिखने के लिए अनेक पद्धतियां हैं। जैसे यदि किसी का नाम राम प्रसाद गुप्ता है तो देवनागरी लिपि में उसका संक्षिप्त नाम किसी एक प्रकार से लिखा जा सकता है:- रा.प्र.गुप्ता, राम प्रसाद गुप्ता, आर.पी.गुप्ता।

यह प्रत्येक की अपनी रुचि पर निर्भर करता है कि वह अपना नाम किस प्रकार लिखे। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम किसी एक प्रकार से लिखना चाहता है तो उसे दूसरी रीति से लिखने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।



12. भारतीय रेल द्वारा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? :-

- (i) सभी विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कराएं और संबंधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
- (ii) समितियों में उचित अनुपात में अहिंदी भाषी अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा जहां तक हो सके कोशिश की जाये कि किसी भी समिति में आधे सदस्य अहिंदी भाषी हों।
- (iii) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य की जानी चाहिए।
- (iv) जो कर्मचारी हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत किये जाते हैं उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाये।
- (v) हिंदी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटर्स, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि को उपलब्ध कराया जाये, और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।
- (vi) विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने का प्रावधान किया गया है तथा साक्षात्कार भी हिंदी में देने की छूट है।

- (vii) प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।
- (viii) 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिए 'ग' क्षेत्र में भेजा जाये।
- (ix) हिंदी दिवस/पखवाड़ा/मास मनाया जाना चाहिए।
- (x) त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन सभी राज्यों में लागू है।
- (xi) हिंदी कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना लागू की गई है।
- (xii) अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।
- (xiii) हिंदी में आशुलिपि और टाइपिंग के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है।
- (xiv) हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है।
- (xv) नये सरकारी भवनों, उनके परिसरों, सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं आदि का नामकरण हिंदी भाषा में हो।
- (xvi) प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस तथा उस दिन से शुरू करके हिंदी सप्ताह मनाएं तथा इनमें हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रचार सामग्री का प्रदर्शन व वितरण होना चाहिए।

- (xvii) हिंदी में कार्य करने की झिझक समाप्त करने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- (xviii) 'क' क्षेत्र से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना चाहिए।
- (xix) राष्ट्रपति ने लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्य सभा के 10 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो राजभाषा के प्रचार-प्रसार की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है।
- (xx) 45 वर्ष से कम आयु वाले सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिये।
- (xxi) जनता से हिंदी में जो भी पत्रादि मिले उनके उत्तर हिंदी में ही दिये जाने चाहिए।



13. प्रोत्साहन पुरस्कार :-

- (i) राजीव गाँधी ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार
- (ii) रेलमंत्री राजभाषा शील्ड/ट्राफी योजना
- (iii) रेलमंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता
- (iv) रेलमंत्री व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना
- (v) महाप्रबंधक व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना
- (vi) इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार
- (vii) लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार
- (viii) कथा संग्रह, उपन्यास के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार
- (ix) काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार
- (x) सामूहिक पुरस्कार योजना
- (xi) रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना
- (xii) हिंदी में टिप्पणी तथा प्रारूप लेखन के लिए पुरस्कार
- (xiii) हिंदी में टाइपिस्ट एवं आशुलिपिक को प्रोत्साहन भत्ता
- (xiv) हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिये पुरस्कार
- (xv) एक वेतन वृद्धि के बराबर विशेष वेतन योजना
- (xvi) आदर्श स्टेशन/कार्यालय/मंडल/वर्कशॉप के लिए राजभाषा शील्ड/ ट्राफी योजना



राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने हेतु चलाई जा रही विभिन्न राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के पुरस्कारों का संक्षिप्त विवरण:

क्र.	पुरस्कार का नाम	विधायं	संख्या	राशि
1	राजीव गाँधी ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार (प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह सहित)	तकनीकी / वैज्ञानिक जैसे :- इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, जैव, विज्ञान, भैतिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, आयुर्विज्ञान, /समसामायिक विषय उदारीकरण, भूमंडलीकरण, मानवाधिकार, उपभोक्तावाद, प्रदूषण आदि विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन। (न्यूनतम पृष्ठ सं. 100)	प्रथम (एक)	2,00,000/-
			द्वितीय (एक)	1,25,000/-
			तृतीय (एक)	75,000/-
			सांत्वना (दस)	10,000/-
2	इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार	सरकारी कार्य से संबंधित किसी भी विषय पर मौलिक लेखन हेतु इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है। (न्यूनतम पृष्ठ सं. 100)	प्रथम (एक)	60,000/-
			द्वितीय (एक)	45,000/-
			तृतीय (एक)	30,000/-
			प्रोत्साहन (एक)	15,000/-

3	लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार	तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन हेतु लालबहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। (न्यूनतम पृष्ठ सं. 100)	प्रथम (एक)	15,000/-
			द्वितीय (एक)	7,000/-
			तृतीय (एक)	3,300/-
4	कथा संग्रह, उपन्यास के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार	कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास के लिए	प्रथम (एक)	15,000/-
			द्वितीय (एक)	7,000/-
			तृतीय (एक)	3,300/-
5	काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार	काव्य/गजल संग्रह के लिए	प्रथम (एक)	15,000/-
			द्वितीय (एक)	7,000/-
			तृतीय (एक)	3,300/-
6	बीस हजार/दस हजार शब्द योजना	गृह मंत्रालय की बीस हजार/दस हजार शब्द या इससे अधिक लिखने पर पुरस्कार	प्रथम (दो)	1600/-
			द्वितीय (तीन)	800/-
			तृतीय (पाँच)	600/-
7	रेलमंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता	रेल संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय पर लिखने हेतु पुरस्कार (न्यूनतम पृष्ठ सं. 5,000) राजपत्रित एवं अराजपत्रित को (1+1)	प्रथम (1+1)	6,000/-
			द्वितीय (1+1)	4,000/-

8	रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना	सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया जाता है।		मध्य रेल के लिए (सात)	1,500/-
9	क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक पुरस्कार योजना	प्रथम (6 X 1,500)			9,000/-
		द्वितीय (5 X 1,200)			6,000/-
		तृतीय (5 X 800)			4,000/-
10	रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार	रेल कर्मियों सहित जनसाधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की योजना प्रचलित है।	प्रथम (एक)	4,000/-	
			द्वितीय (एक)	3,000/-	
			तृतीय (एक)	2,000/-	
11	हिंदी में टिप्पणी, तथा प्रारूप लेखन के लिए पुरस्कार	हिंदी निबंध/वाक/ टिप्पण एवं प्रारूप लेखन के लिए प्रतियोगिता पुरस्कार	अखिल रेल स्तर पर	प्रथम (एक)	3,000/-
				द्वितीय (एक)	2,500/-
				तृतीय (एक)	2,000/-
				सांत्वना (पांच)	1,500/-

			मुख्यालय/ क्षेत्रीय स्तर पर	प्रथम (एक)	1,200/-
				द्वितीय (एक)	1,000/-
				तृतीय (एक)	900/-
				सांत्वना (तीन)	250/-
			मंडल/कारखाना ना स्तर पर	प्रथम (एक)	500/-
				द्वितीय (एक)	400/-
				तृतीय (एक)	300/-
				सांत्वना (दो)	150/-
12	क्षेत्रीय स्तर पर नकद पुरस्कार	प्रत्येक विभाग/मंडल/कारखाना से एक अधिकारी तथा दो कर्मचारी		अधिकारी	500/-
				कर्मचारी	200/-
13	हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारी को पुरस्कार	हिंदी भाषी अधिकारी द्वारा बीस हजार शब्द तथा अहिंदी भाषी अधिकारी द्वारा दस हजार शब्द लिखने पर वर्ष में दो पुरस्कार		हिंदी भाषी	2,000/-
				अहिंदी भाषी	2,000/-
14	अंग्रेजी टंककों को हिंदी में कार्य करने पर मानदेय			प्रतिमाह	80/-
15	अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी में कार्य करने पर मानदेय			प्रतिमाह	120/-

16	राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यालयों एवं स्टेशनों में स्थित हिंदी पुस्तकालय का कार्य अंशकालीन पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में देखने हेतु मानदेय।	प्रतिमाह	500/-		
17	राजभाषा विभाग द्वारा मंडल के विभिन्न कार्यालयों एवं स्टेशनों पर गठित राजभाषा समितियों का कार्य हिंदी सचिव के रूप में देखने हेतु मानदेय।	प्रतिमाह	300/-		
18	मुख्यालय स्तर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में राजभाषा विभाग का कार्य देखने हेतु मानदेय।	प्रतिमाह	1,200/-		
19	मंडल स्तर पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में राजभाषा विभाग का कार्य देखने हेतु मानदेय।	प्रतिमाह	600/-		
20	कारखाना स्तर पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में राजभाषा विभाग का कार्य देखने हेतु मानदेय।	प्रतिमाह	400/-		
21	एक वेतन वृद्धि के बराबर विशेष वेतन योजना	परीक्षा का नाम	अग्रिम वेतन वृद्धि की अवधि	अंकों का प्रतिशत	-
		प्रबोध	12 महीना	70% या अधिक	800/-
				60-69 अंक	400/-
				55-59 अंक	200/-

		प्रवीण एवं प्राज्ञ	12 महीना	70% या अधिक	1200/-
				60-69 अंक	800/-
				55-59 अंक	400/-
		टंकण	12 महीना	97% या अधिक	1200/-
				95-96 अंक	800/-
				90-94 अंक	400/-
		आशुलिपि	12 या 24 महीना	95% या अधिक	1200/-
				92-94 अंक	800/-
				88-91 अंक	400/-

14. मंत्रालयों / विभागों और उसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों एवं केन्द्रीय सरकार के निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य :-

क्र	कार्य का विवरण	‘क’ क्षेत्र (बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)		‘ख’ क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा चडीगढ़, दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य)		‘ग’ क्षेत्र (‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र से भिन्न राज्य तथा संघ शासित प्रदेश)	
1	हिंदी में मूल पत्राचार (तार बतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	क क्षेत्र से क क्षेत्र को	100%	ख क्षेत्र से क क्षेत्र को	90%	ग क्षेत्र से क क्षेत्र को	55%
		क क्षेत्र से ख क्षेत्र को	100%	ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को	90%	ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को	55%
		क क्षेत्र से ग क्षेत्र को	65%	ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को	55%	ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को	55%
		क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100%	ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100%	ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	85%
	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%		100%		100%	
2	हिंदी में टिप्पण	75%		50%		30%	
3	हिंदी टंकक, आशुलिपिक की भर्ती	80%		70%		40%	
4	हिंदी में डिक्टेशन की बोर्ड पर सीधे टंकण स्वयं तथा सहायक द्वारा	65%		55%		30%	

5	हिंदी प्रशिक्षण	100%	100%	100%
6	हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कुल अनुदान का % खर्च जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर	50%	50%	50%
7	सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
8	द्विभाषी बेवसाइट तैयार करना	100%	100%	100%
9	मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% न्यूनतम	25% न्यूनतम	25% न्यूनतम
	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% न्यूनतम	25% न्यूनतम	25% न्यूनतम
10	राजभाषा की बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहीकार समिति	वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें		
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में दो बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में चार बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
11	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
12	मंत्रालय/विभाग के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	न्यूनतम अनुभाग:- क क्षेत्र-40%, ख क्षेत्र-30%, ग क्षेत्र-20%		

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में 'क' क्षेत्र में कुल कार्य क्षेत्र का 40%, 'ख' क्षेत्र में 25%, और 'ग' क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाये।



15. हिंदी में कार्य साधक ज्ञान और हिंदी में प्रवीणता में अन्तर

क्र	हिंदी में कार्य साधक ज्ञान	हिंदी में प्रवीणता
1	हिंदी में कार्य साधक ज्ञान का अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है जिसने एक हिंदी विषय के साथ मैट्रिक या कोई समकक्ष या उच्चतर परीक्षा पास की हो। या	हिंदी में प्रवीणता ऐसे ज्ञान से है जिसने हिंदी माध्यम से मैट्रिक या कोई समकक्ष या उच्चतर परीक्षा पास की हो। या
2	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा या उससे कम स्तर की कोई परीक्षा या उसके समकक्ष किसी निर्धारित परीक्षा में सफलता हासिल की हो, जो किसी कोटि के लिए निर्धारित की गई हो। या सरकार के द्वारा निर्धारित कोई अन्य परीक्षा में सफलता हासिल की हो। जैसे-हिंदी प्रचार सभा। या	स्नातक या उसके समकक्ष या उससे किसी उच्च स्तर की परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी विषय लिया हो। या
3	विहित प्रपत्र में यह घोषणा की हो कि उसे हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण से छूट दी गई है।	विहित प्रपत्र में यह घोषणा की हो कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण से छूट दी गई है।
4	हिंदी में कार्य साधक ज्ञान का अभिप्राय हिंदी में केवल काम चलाने वाले ज्ञान से है अर्थात् वह हिन्दी में कार्य करने के लिए महारथी नहीं है।	हिंदी में प्रवीणता का अभिप्राय हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति से है अर्थात् वह हिंदी में कार्य करने के लिए महारथी है।

(परीक्षा के प्रकार - प्रबोध, प्रवीण, प्राग्य)

16. राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर

क्र.	राजभाषा	राष्ट्रभाषा
1	राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है।	राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है।
2	राजभाषा प्रशासन की भाषा है।	राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है।
3	केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है।	समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है।
4	इसकी शब्दावली सीमित है।	इसकी शब्दावली विस्तृत है।
5	राजभाषा नियमों में बँधी है।	राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है।
6	इसमें शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है।	इसमें शब्दों का प्रवेश समाज से तथा प्रचलन के आधार पर रुढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं तथा इसके निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है।
7	राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है।	राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।
8	राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः व उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है।	राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में सर्वत्र हो रहा है।



क्या आप जानते हैं ?

1. 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई।
2. 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ।
3. राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित हुआ था और उसका संशोधन 1967 में हुआ था।
4. 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) लागू हुई।
5. राजभाषा अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से सह राजभाषा अंग्रेजी है।
6. 28 जून 1976 को राजभाषा नियम बनाया गया।
7. हिंदी माध्यम से सम्पूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगणी, हरिद्वार है।
8. भारत में सबसे पहले हिंदी में एम.ए. का पाठ्यक्रम कलकत्ता विश्वविद्यालय ने शुरू किया था।

9. राजभाषा कर्मियों को अनुवाद प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली भेजा जाता है।
10. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1973 में नई दिल्ली में हुई।
11. मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है।
12. हिंदी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता है।
13. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-9 के अनुसार धारा-6, और 7 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती है।
14. संसद द्वारा राजभाषा संकल्प 18-1-1968 में पारित किया गया।
15. केन्द्रीय हिंदी समिति का गठन 5 सितम्बर, 1967 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया।
16. शास्त्रीय भाषा (Classical Language) के रूप में तमिल भाषा को दर्जा दिया गया है।
17. राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं इसके प्रचार-प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम “रेल राजभाषा” है।

18. राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं इसके प्रचार-प्रसार के लिए मध्य रेल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम “रेल सुरभि” है।
19. संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा के लिए प्रावधान है।
20. प्रशासनिक हिंदी का ज्ञान कराने वाले पाठ्यक्रमों के नाम प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ है।
21. प्रबोध, प्रवीण, व प्राज्ञ, हिंदी शिक्षण योजना का प्रशिक्षण है।
22. प्रबोध परीक्षा केवल दक्षिण भारतीय के लिए है।
23. राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय के अन्तर्गत आता है।
24. HTS का पूरा अर्थ हिंदी ट्रेनिंग स्कीम है।
25. प्रबोध, प्रवीण, व प्राज्ञ परीक्षा का शैक्षिक स्तर क्रमशः प्रबोध - (प्राथमिक) पांचवी की हिंदी, प्रवीण - मिडिल स्कूल की हिंदी व प्राज्ञ - हाईस्कूल की हिंदी के बराबर होता है।
26. राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू है।

27. प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री बान गंगाधर खेर थे।
28. प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ जिसके सभापति श्री पं. गोविन्द बल्लभ पंत थे।
29. भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र “उदंत मार्तण्ड” था, जिसका संपादन श्री जुगल किशोर शुक्ल ने दिनांक 30-5-1826 को किया।
30. राष्ट्रभाषा के समान्तर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव श्री सी. राज गोपालाचारी किया।
31. हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं जिसमें लोक सभा से 20 तथा राज्य सभा से 10 सदस्य होते हैं।
32. हिंदी सलाहाकार समिति की बैठकों की संख्या वर्ष में न्यूनतम दो होती है।
33. राजभाषा कार्यान्वयन समिति में बैठकों की संख्या वर्ष में चार (तीन माह में एक बार) होती है।
34. हिंदी की लिपि देवनागरी है।

35. अंतर्राष्ट्रीय अंकों का आविष्कार भारत में हुआ था।
36. राष्ट्र संघ (UNO) को हिंदी भाषा में संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी है।
37. राष्ट्र संघ (UNO) को हिंदी भाषा में संबोधित करने वाले द्वितीय भारतीय राजनेता श्री पी. वी. नरसिंहराव जी (विदेश मंत्री) हैं।
38. त्रिभाषा सूत्र का अभिप्राय प्रादेशिक भाषा, हिंदी व अंग्रेजी से है।
39. उच्चतम न्यायालय की प्राधिकृत भाषा अंग्रेजी है।
40. राजभाषा नियमानुसार हिंदी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की है।
41. सरकार की राजभाषा नीति संबंधी जानकारी देने वाली सर्वोच्च समिति 'केन्द्रीय हिंदी समिति' के नाम से जानी जाती है।
42. रेल हिंदी सलाहाकार समिति का सचिव निदेशक राजभाषा (रेलवे बोर्ड) होता है।
43. मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होता है।

44. 'ग' क्षेत्र में स्टेशनों के नाम बोर्ड तीन भाषाओं में जिसमें क्रमानुसार प्रादेशिक भाषा, हिंदी तथा सबसे नीचे अंग्रेजी में होने चाहिए।
45. राजभाषा के रूप में हिंदी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता है।
46. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय से जारी होता है।
47. स्टेशनों के नाम में सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है।
48. राजभाषा नियमानुसार द्विभाषी रूप में प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है।
49. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रबड़ की मोहरें द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) होनी चाहिए।
50. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, भुसावल के वाचनालय का नाम श्री जयशंकर प्रसाद पुस्तकालय एवं दूर संचार केन्द्र है।



लिप्यांतर किए जाने वाले शब्द (Transliterated Words)

अंग्रेजी शब्द	हिंदी लिप्यांतर
Accepted Provisionally	अनंतिम रूप से स्वीकृत
Action has been already taken	कार्रवाई की जा चुकी है
Annexer	अनुलग्नक
Appendix	परिशिष्ट
Approved	अनुमोदित
Autonomous	स्वायत्तशासी
By no means	कभी नहीं/कदापि नहीं
Call for an explanation	जवाब-तलब किया जाये
Case has been closed	मामला समाप्त कर दिया गया है
Case under investigation	मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है
Comments	टीका-टिप्पणी
Consideration	विचारार्थ
Corrigendum	शुद्धिपत्र
Delegation of power	अधिकारों का प्रत्यायोजन
Discuss with paper	संबंधित कागज लेकर चर्चा करें
Discuss with Papers	संबंधित कागजात के साथ विचार-विमर्श करें
Draft approved as sanctioned	संशोधित रूप में मसौदा अनुमोदित
Embezzlement	गबन
Employer	नियोक्ता
Ex parte judgement	एक पक्षीय निर्णय
Expedite action	कार्य शीघ्र करें
Findings	निष्कर्ष (जांच परिणाम)

Fix up date for the meeting	बैठक के लिए तारीख निश्चित की जाय
For information	सूचनार्थ
For signature	स्ताक्ष
Gazette	राजपत्र
Give details	विस्तृत जानकारी दें
Held in obedience	अस्थगित रखा जाय
I agree	मैं सहमत हूँ
I agree with A above	मैं उपरोक्त घकड़ से सहमत हूँ
I do not agree	मैं सहमत नहीं हूँ
I would like to see	मैं देखना चाहूँगा
Immediate action please	तत्काल कार्रवाई करें
In addition to	के अतिरिक्त
In case of	की स्थिति में
In fact	वास्तव में
In like manner	समान रीति से
In partial modification of	आंशिक संशोधन करते हुए
Inauguration	उद्घाटन
Inform all concern	सर्वसंबंधितों को सूचित करें
Initiative	पहल करना
Interim relly may be give	अंतरिम उत्तर भेजा जाय
Invigilation	अन्वीक्षण
Issue today	आज ही जारी करें
Juducial	न्यायिक
Keep pending	निर्णयार्थ रोक रखें
Law officer for opinion please	विधि अधिकारी अपनी राय दें
Locate the the irregularities	अनियमितताओं का पता लगाएं
May please see	कृपया देखें
Modification	संशोधन

No action necessary	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं
No coment to make	कोई टिप्पणी नहीं करनी है
No need to send reply	उत्तर भेजने की आवश्यकता नहीं है
Please circulate and file	कृपया परिपत्रित करें और फाइल कर दें
Please expedit reply	कृपया शीघ्र उत्तर भेजें
Please prepare a precis of the case	कृपया मामले का सार तैयार करें
Please put up a self contained note	कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें
Please see me	कृपया मिलें
Please speak/ discuss	कृपया बात/चर्चा करें
Priority	प्राथमिकता
Proceeding	कार्यवाही
Regrettet proposal can not be agreed to	खेद है प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता
Reimbursment	प्रतिपूर्ति
Reminder may be sent	अनुस्मारक भेज दें
Request to acceded	प्रार्थना स्वीकार की जाए
Sanction as a special case	विशेष मामले के रूप में मंजूर
What delays	देरी क्यों हो रही है
What is the position	क्या स्थिति है
Yours faithfully, sincerely	आपका

संकलन एवं टंकण :- ज्वाला प्रसाद

मुख्य यातायात प्रशिक्षक

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

मध्य रेल, भुसावल।

ई.मेल पता :-

chieftraffcinstructor@gmail.com



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, भुसावल

जुलाई - 2014

प्राचार्य
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान
भुसावल द्वारा प्रकाशित

